न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 101/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/352

1. कालु पुत्र रामा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहन पुत्र रामा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी आकोदड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. जानी पुत्री रामा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी आकोदडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................प्रार्थीगण

बनाम

1. वरदीबाई पत्नी अणन्दा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
2. जेता पुत्र भेरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. अमरा पुत्र चतरा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
4. उंकारलाल पुत्र धुला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
5. ताराचन्द पुत्र धूला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
6. दुदालाल पुत्र धूला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
7. भगवानलाल पुत्र धूला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
8. भमरीबाई पुत्री धूला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
9. भुरालाल पुत्र धूला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
10. राधीबाई पुत्री धुला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
11. देऊ पत्नी किशोर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
12. दाकू पुत्री किशोर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
13. नारायणी पुत्री किशोर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
14. वरदी पुत्री किशोर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

15. शंकरलाल पुत्र किशोर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
16. मांगीबाई पत्नी स्व० जयमल जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
17. शिवलाल पुत्र स्व० जयमल जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 13, 15, 16, 17 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 15.01.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा आकोदड़ा पटवार हल्का बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 134/100, 135/103, 136/100, 140/103, 141/104 किता 11 कुल रकबा 2.8168 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं खातेदार वगतु पत्नी रामा मेघवाल के नाम पर बराबर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है। वगतु पत्नी रामा मेघवाल का निधन हो चुका है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थीगण की भूमि की चारो दिशाओ का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करवाया जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 10, 12, 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 18 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 13, 15 से 17 का वकालत पत्र अधिवक्ता लक्ष्मीलाल रेगर द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अवगत कराया गया की विपक्षी सं. 11 फौत हो चुका है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा आकोदड़ा पटवार हल्का बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 134/100, 135/103, 136/100, 140/103, 141/104 किता 11 कुल रकबा 2.8168 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं उनकी माता वगतु के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण की माता का निधन हो चुका है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा आकोदड़ा पटवार हल्का बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 134/100, 135/103, 136/100, 140/103, 141/104 किता 11 कुल रकबा 2.8168 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:56 IST
Reason: SelfAttested